

मनरेगा योजना एवं निर्धनता : उत्तर प्रदेश के एक गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

हरिनन्दन कुशवाहा*, भारती देवी**

मनरेगा योजना एवं निर्धनता : उत्तर प्रदेश के एक गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

हरिनन्दन कुशवाहा*, भारती देवी**

*वरिष्ठ शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

**सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, रामस्वरूप पटेल स्मारक महाविद्यालय
बिलग्राम, हरदोई, उत्तर प्रदेश,

सारांश

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005, प्रत्येक भारतीय नागरिक को गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार तथा काम की प्रतिबद्धता को समहित किये हैं। इस कानून के आने के बाद पलायन और उससे जुड़ी तमाम जटिलताओं से राहत की जो परिकल्पना की गयी थी वह अधूरी रह गयी है। फिर भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में गहनता एवं अच्छे अनुभवों को नकारा नहीं जा सकता है। सामन्तवादी व्यवस्था आज भी समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा को अवरुद्ध करती है। यदि समाज में समरसता एवं गैर बराबरी रोकने के प्रति सरकार सजग हों तो मनरेगा जैसी योजना न केवल सफल होगी अपितु समाज में फैली गरीबी, भुखमरी, कुपोषण एवं शोषण को दूर करने में मदद मिलेगी।

मूल शब्द: समुदाय, श्रम बाजार, कृषि, भेदभाव, ।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
निम्न प्रकार है:

**हरिनन्दन कुशवाहा*,
भारती देवी****

मनरेगा योजना एवं निर्धनता
: उत्तर प्रदेश के एक गांव
का समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं0 100–111

Article No. 15

<http://anubooks.com>

?page_id=581

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का प्रभावपूर्ण समाधान किये बिना हम कल्याणकारी-राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद से ही ऐसी वृहत् योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के पिछड़ेपन, गंदगी तथा रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। देश के सर्वांगीण विकास के लिए गाँवों के विकास की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें दलितों एवं पिछड़ों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाये, आवास की दशाओं में सुधार किया जाये, भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान की जाये, विशेषकर दुर्बल लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाये।

गाँवों में निर्धनता अधिक है। भारत की जनसंख्या का 29.8 प्रतिशत का गरीबी रेखा के नीचे है। भारत की 58 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि ही जीविका का मुख्य साधन है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र 20 प्रतिशत से भी कम योगदान करता है, इसका मुख्य कारण भूमि का असमान वितरण है। लगभग 15 प्रतिशत भू-स्वामी सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के 55 प्रतिशत का मालिक है, 17.91 प्रतिशत लघु एवं 67 प्रतिशत सीमान्त किसान है (प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो, 2015)। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए तैयार किया गया कोई भी प्रारूप ग्रामीण क्षेत्रोन्मुख होना चाहिए। इनमें सन्देह नहीं कि 1952 में योजना प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही हमारे नीति निर्माता कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बल देते रहे हैं, लेकिन गाँवों में हम कितना गरीबी उन्मूलन कर सके हैं? यह एक प्रश्न उभरता है।

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 16 राज्यों में 33,000 ग्रामीण परिवारों के 300 बिन्दुओं पर 4 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद ग्रामीण भारत में मानव चित्र तैयार किया, जिसको विकास अधिकारियों द्वारा गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। वर्ष 1994 की यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट के अनुसार जो दिसम्बर 1996 में भोपाल में प्रस्तुत की गई और राज्य सरकार की कार्यशाला में दर्शाया कि ग्रामीण जनसंख्या के 39 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं अथवा 2444 रु. प्रति व्यक्ति से भी कम वार्षिक आय वाले लोग हैं (1993-1994 में योजना आयोग ने दावा किया था कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 18.1 प्रतिशत) है। ये लोग इतने असुरक्षित और यह भी नहीं जानते कि अगला भोजन कहाँ से आयेगा। यहाँ तक कि पंजाब या हरियाणा जैसे सम्पन्न राज्यों में भी ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।

निर्धनता का आंकलन गरीबों के पास नल के पानी, बिजली, कच्चा या पक्का मकान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धता से किया जाता है। देश की 55 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या अभी भी कच्चे मकानों में रहती है। साथ ही सार्वजनिक पिछड़े राज्यों (जैसे- पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य-प्रदेश) में 15 से 19 प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली है, 9 से 11 प्रतिशत घरों में नल का पानी और 11 से 16 प्रतिशत घर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा प्राप्त करते हैं।

आस्कर लेविस (1966) ने गरीबी की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया है जो लगभग सार्वभौमिक रूप से पायी जाती है जो निम्नलिखित है –

- गरीबों के जीवन विस्तार अपेक्षाकृत कम होता है और मृत्युदर अधिक होती है।
- युवा वर्ग का अनुपात अधिक होता है पुरुष और स्त्री दोनों ही काम करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का अनुपात भी जो नोकरी पेशा करते हैं अधिक होता है।
- सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जैसे – स्वास्थ्य की देखभाल, मातृत्व या अन्य सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं होती और वे शहर के अस्पताल, मेडिकल स्टोर, संग्रहालयों तथा वीथिकाओं का कम उपयोग करते हैं।

पारम्परिक रूप से स्वीकृत अर्थशास्त्र का तार्किक-गणितीय नजरिया आज गरीबी की व्याख्या करने में अक्षम शक्ति हो चुका है। प्रो. अमर्त्यसेन, सामाजिक अर्थशास्त्री नें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के तहत यह साबित किया है, कि निर्धनता रोकने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश का बदलाव ज्यादा जरूरी है। अमर्त्यसेन ने गरीबी के पीछे प्राकृतिक संसाधनों को समान रूप से वितरण न होने को बताया है। अतः गरीबी को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना में बदलाव लाने की जरूरत है। राजस्थान के सात जिलों में किए गये एक अनुभवाश्रित अध्ययन के आधार पर राम आहूजा ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के 13 कारण बताये हैं।

पी. सी. जोशी ने 'भारतीय ग्राम' नामक पुस्तक में सामुदायिक विकास योजना का अध्ययन कर लिखा है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना महत्वपूर्ण है। यह विकास योजना 2 अक्टूबर 1950 ई. को सर्वप्रथम प्रारम्भ हुई। योजना में विभिन्न उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए पदाधिकारियों का प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। देश में प्रखण्ड विकास अधिकारियों और प्रखण्ड विस्तार अधिकारियों के लिए 10 और समाज शिक्षा संचालकों एवं मुख्य सेविकाओं के लिए 13 प्रशिक्षण या अध्ययन केन्द्र हैं। ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भी ऐसे ही केन्द्र बने हैं।

एन. प्रसाद ने अपनी पुस्तक 'चेन्ज स्ट्रेटजी इन डवलपिंग सोसाइटी' में लिखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए अत्यधिक राष्ट्रशक्ति तथा मानवीय संसाधन को लगाना होगा, जबकि प्रारम्भिक स्तर पर उससे अधिक लाभ की आशा नहीं की जा सकती। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने मानवीय आकांक्षाओं में वृद्धि किया है, चूंकि आकांक्षाएं सभी पूरी नहीं हो सकती हैं, अतः कुछ निराशा स्वाभाविक है। परम्परागत तथा कार्यात्मक अभिजात, वर्ग का जिसका आपसी द्वन्द्व इस योजना के प्रगति में विशेष बाधा रही है। सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रभाव के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय का विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। **ए. आर. देसाई** का मानना था कि समाजशास्त्रीय धारणायें जिन पर सामुदायिक विकास योजनाएं आधारित थी, जैसे, व्यक्ति, समूह और श्रेणियां जो ग्राम समुदाय में शामिल होते हैं, सामान्य हितों से बंधें रहते हैं, और सामान्य हित यह उत्साह पैदा करेंगे, कि समुदाय के विभिन्न श्रेणियों के हित समझौते से दूर टकराव वाले नहीं होते हैं, सही नहीं थी।

एम. एन. श्रीनिवास (1995) के अनुसार जिन देशों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, उनमें आर्थिक विकास के लिए गम्भीर अड़चनें हैं। **बी. आर. चौहान** के अनुसार विकास या सहकारिता

की जो योजनायें लागू की गयी उनका गरीब लोगों को विशेष लाभ नहीं मिला। यन्त्रों व उन्नत बीजों व खाद का उपयोग भी सम्पन्न व मध्यम स्तर के कृषकों तक पहुँचा है, जिससे सम्पन्न व गरीब के बीच खाई बढ़ने लगी है।

एस. सी. दुबे (1955) ने ग्रामीण परिवर्तन के अध्ययन को प्रमुखता दी और गांवों के बाहर से आने वाली शक्तियों को आंका। नरेगा कार्यक्रम में सुशुभ ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करने, स्वयं योजना बना सकने एवं उन्हें क्रियान्वयन करने की शक्ति को समझ सकने का कार्य किया गया है। सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक जीवन के विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था में हुए मूलभूत परिवर्तन से सामाजिक गतिशीलता मुखर होकर आ गयी है क्योंकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से न केवल योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुँच रहा है बल्कि निम्न तबके की भागीदारी भी बढ़ी है। इस भागीदारी से विकसित जागरूकता ने एक अलग तरह का द्वन्द्व जातिगत संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे अध्ययन क्षेत्र में जातिगत संघर्ष अप्रकट था लेकिन अब वह प्रकट रूप से सामने आ रहा है।

गरीबी दूर करने के लिए राज्य द्वारा किए गए उपाय

स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे नीति निर्माताओं ने गरीबी को दूर करने के लिए व्यापक रूप से ध्यान दिया, पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी दूर करने में प्रयास किये। राज्य द्वारा गरीबी दूर करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ कार्यक्रम जैसी योजनायें चलाई गयी, लेकिन जन जागरूकता के अभाव में यह योजनाएं ने पूर्ण कामयाबी हासिल न कर सकीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— भारत की संसद ने “राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” को 23 अगस्त 2005 को पारित कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में दिये गये “गरिमा के साथ जीने का अधिकार” तथा प्रत्येक नागरिक के लिए काम की प्रतिबद्धता को दुहराया है। इस कानून के आने के बाद पलायन और उससे जुड़ी तमाम जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी।

भारत सरकार ने 2 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को देश के 200 जिलों में लागू किया, योजना के प्रथम चरण में 200 जिलों का चयन किया गया, इस योजना द्वारा बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्या को मिटाने के लिए ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर दिया जायेगा। केन्द्र सरकार ने इस योजना में 90 प्रतिशत खर्च करेगी लेकिन इसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 1819.99 लाख कार्यदिवस सृजित किये गये। उसमें से 33.43 प्रतिशत कार्य दिवस का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिला, जबकि 35.11 प्रतिशत कार्य दिवस का लाभ महिलाओं को मिला। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मनरेगा में भागीदारी अन्य राज्यों की तुलना में संतोषजनक नहीं है और अध्ययन क्षेत्र में तो किसी भी महिला को नरेगा का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला है।

बेरोजगारी समाज में अनेक समस्यायें पैदा करती हैं अशिक्षा, पिछड़ापन, नक्सली गतिविधियां आतंकवाद, चोरी, डकैती का प्रमुख कारण रोजगार का अभाव है, इसके लिए गाँवों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्राविधानों के नियोजन एवं क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व पंचायतीराज संस्थाओं का है। संस्थागत मशीनरी के माध्यम से पारदर्शिता जवाबदेही सामाजिक अंकक्षण (सोशल ऑडिट) एवं जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया है।

मनरेगा योजना ने अब तक 12 साल पूरे कर लिए जिसके अन्तर्गत इसका मकसद रोजगार सृजन करने के अवसर में वृद्धि करना है। वर्ष 2017-18 में हरदोई जिले में 62.02 लाख श्रम दिवस सृजित हुए, जिसमें महिलाओं के श्रमबल की भागीदारी 24.58 प्रतिशत रही। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जाति के श्रमदिवसों का हिस्सा क्रमशः 41.84 प्रतिशत एवं 0.11 प्रतिशत रहा है (नरेगा, 2018)। इस योजना में अधिकतर बी. पी. एल. परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें यह पता चलता है कि नरेगा का लाभ ग्रामीण गरीबों को मिला है। उपवन एवं सहयोगी संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का अध्ययन कर पाया कि केवल 45.5 प्रतिशत परिवार ही ऐसे थे, जिनके पास जॉब कार्ड उपलब्ध थे।

नरसिम्हा रेड्डी एवं अन्य (2014) ने मनरेगा योजना के अध्ययन में ग्रामीण समावेश, श्रम बाजार एवं कृषि पर प्रभावों का विश्लेषण कर पाया है कि जो राज्य इस योजना को स्थानीय नियोजन के साथ जोड़कर क्रियान्वित कर रहे हैं वहां रोजगार उत्पादन, परिसम्पत्ति निर्माण एवं कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही योजना ने महिलाओं, एवं अन्य वंचित जातियों में गरीबी, भुखमरी एवं शोषण को कम किया है। के.एस. दत्ता एवं कृष्णा सिंह (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना से महिलाओं की रोजगार में सहभागिता, शिक्षा, आय एवं अन्य मामलों में नियन्त्रणरखने के अवसर प्रदान किये हैं। दूसरी ओर स्वाती दास ने एनएसएस के आंकड़ों का प्रयोग कर मनरेगा लाभार्थियों एवं गैर लाभार्थियों के व्यय पर तुलनात्मक अध्ययन कर पाया कि इससे लक्षित परिवारों की आजीविका में प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का ग्रामीण गरीबी को दूर करने में क्या भूमिका है, का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उप-उद्देश्य हैं।

1. अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के सापेक्ष सामाजिक संरचना का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति

शोध के विषय, प्रकृति एवं प्रकार को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है, जो कि निष्पक्ष निरीक्षण (अवलोकन), सत्यापन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण पर आधारित है।


उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की एक ग्रामपंचायत को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। लच्छीपुर ग्राम पंचायत मल्लावाँ विकासखण्ड से 5.5 किमी तथा जिला मुख्यालय से 56 किमी की दूरी पर स्थिति है। इस गाँव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की शुरुआत (2006) से ही लागू है। इस गाँव की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। यह ग्राम पंचायत लच्छीपुर तथा भवानीपुर ग्रामों से मिलकर बनी है जिसकी कुल जनसंख्या 2021 है। इस ग्राम पंचायत में 380 जॉब कार्ड धारकों के सापेक्ष 90 (23.68 प्रतिशत) कार्ड सक्रिय हैं। समग्र से 100 जॉब कार्ड धारकों को लाटरी विधि (देव निदर्शन) से चयन किया गया है, उनमें से 65 अन्य पिछड़ी जाति तथा 35 अनुसूचित जाति के हैं। शोध सामग्री के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा समुदाय एवं समूह के जीवन सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित किया गया है, जो इस शोध कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि

लच्छीपुर ग्राम पंचायत में हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जातियों में बटे हैं। गिरि विकास अध्ययन संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार लच्छीपुर की उच्च जातियों, जिनके मात्र 20 परिवार हैं, ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विकास योजनाओं का अधिक फायदा उठाया। इस ग्राम के 62.7 प्रतिशत परिवारों की आय का मुख्य स्रोत कृषि, तथा लगभग 20 प्रतिशत परिवारों की मुख्य जीविका मजदूरी है। अध्ययन के अनुसार जुलाई 2002 में 1381 में से 259 (लगभग 19 प्रतिशत) व्यक्ति गाँव से बाहर रह रहे थे (धर, 2003)।

अध्ययन क्षेत्र के निवासियों के परिवारों का औसत आकार 2001 की जनगणना के अनुसार 6 सदस्य प्रति परिवार है। उत्तरदाताओं के घरों पर यदि नजर डाली जाय तो 51.42 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों का निवास कच्चे मकानों में तथा 5.71 प्रतिशत झोपड़ियों में है। केवल 8.57 प्रतिशत परिवार ही पक्के तथा 34.42 प्रतिशत परिवार मिश्रित घरों में रहते हैं। वहीं पिछड़ी जाति के अधिकांश 49.23 प्रतिशत परिवार मिश्रित, 15.38 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों तथा 35.38 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में निवास करते हैं (आरेख-1)।


आरेख-1 उत्तरदाताओं के घरों का प्रकार



जिस प्रकार अधिकांश उत्तरदाता कच्चे मकानों में निवास करते हैं उसी प्रकार 51.42 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 44.62 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के उत्तरदाता अशिक्षित हैं। यह स्थिति इस ग्राम पंचायत में उचित नहीं दिखाई देती क्योंकि इस ग्राम सभा में 2 आंगनवाड़ी केन्द्र 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर स्कूल तथा 2 प्राइवेट विद्यालय (जिनमें से एक प्राथमिक स्तर तथा दूसरा जूनियर स्तर के) हैं।


सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछड़ी जाति के 3.07 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 500 रु0 तक है। अधिकांशतः उत्तरदाताओं की मासिक आय रु. 501-1500 के बीच है। अनुसूचित जाति 65.71 प्रतिशत पिछड़ी जाति में 52.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस श्रेणी में आते हैं। वही अनुसूचित जाति के 34.28 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 41.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 1501-2500 रु0 के बीच है। केवल 3.08 प्रतिशत पिछड़ी जाति के मजदूरों की आय 2501 से अधिक है (आरेख-2)। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नरेगा मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

आरेख-2 मनरेगा मजदूरों की मासिक आय



आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि अधिकांश नरेगा मजदूरों की आय का मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी है। अनुसूचित जाति के 88.57 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 90.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मुख्य आय स्रोत कृषि मजदूरी है तथा पिछड़ी जाति के 1.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मुख्य आय स्रोत निर्माण मजदूरी है। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं में 5.71 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 3.07 प्रतिशत पिछड़ी जाति के उत्तरदाता कृषि पर आश्रित हैं। अनुसूचित जाति के 5.71 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 3.61 प्रतिशत उत्तरदाता कुशल मजदूरी या अन्य कार्य करने वाले हैं (आरेख-3)।

आरेख-3 मनरेगा मजदूरों की आय का स्रोत



इस ग्राम सभा के नरेगा मजदूरों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है, यद्यपि भूमिहीन मजदूरों की संख्या 8 प्रतिशत ही है, जबकि 38 प्रतिशत मजदूर सीमान्त तथा 47 प्रतिशत मजदूर लघु एवं 7 प्रतिशत निम्न मध्यम कृषक हैं।


हरदोई जनपद में नरेगा योजना क्रियान्वयन की स्थिति

हरदोई जनपद में आरम्भ से ही नरेगा योजना चल रही है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 में लाभान्वित श्रमिकों की संख्या-2.63 लाख रही तथा 60 लाख मानवदिवस, जिसमें 41.84 प्रतिशत कार्य दिवसों में अनुसूचित जाति तथा शेष 58.16 प्रतिशत कार्य दिवसों में सामान्य तथा अन्य पिछड़ी जातियों के मजदूरों ने कार्य किया हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि सन् 2007-08 (लगभग 55 प्रतिशत) के सापेक्ष वर्तमान में अनुसूचित जाति के श्रमिकों की मनरेगा में भागीदारी घटी है। जिले को इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 13,832.41 लाख अनुदान का व्यय हुआ, लेकिन उसके सापेक्ष 0.53 लाख कार्यों के सापेक्ष 14849 (28.02 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण हो पाये।

जागरूकता


ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले की तुलना में लोग जागरूक हो गये हैं। नरेगा योजना से सम्बन्धित तथा रोजगार के बारे में जानकारी प्रधान या पंचायत मित्र से अनुसूचित जाति में 97.14 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग 93.84 प्रतिशत, जबकि ब्लाक से अनुसूचित जाति 2.86 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग 4.61 प्रतिशत लोगों को जानकारी मिलता है, तथा ग्राम विकास अधिकारी के पिछड़ी जाति के 1.54 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जाति में किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं प्राप्त होती है (आरेख-4)।

आरेख-4 मनरेगा मजदूरों हेतु जानकारी का स्रोत




अधिकांश उत्तरदाताओं को जॉब कार्ड के बारे में जानकारी है, लेकिन योजना के अन्तर्गत मजदूरी दिन के बारे में अनुसूचित जाति में 82.86 प्रतिशत, पिछड़ी जाति में 86.15 प्रतिशत जानकारी है लेकिन मजदूरी राशि के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति में 100 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग 96.92 प्रतिशत व्यक्तियों को जानकारी है। उपरोक्त आधार पर यह लगता है कि जॉब कार्ड के बारे में तो जानकारी है परन्तु दिन तथा मजदूरी राशि के बारे में सभी मजदूरों को जानकारी नहीं है (आरेख-5)।

आरेख-5 मनरेगा मजदूरों हेतु जानकारी का स्तर



उत्तरदाताओं में अनुसूचित जाति के 85.71 प्रतिशत, पिछड़ी जाति के 76.92 प्रतिशत मजदूर अपने पास ही जॉब कार्ड है जबकि प्रधान के पास अनुसूचित जाति में 11.43 प्रतिशत पिछड़ी जाति के 21.54 प्रतिशत लोगों के जॉब कार्ड प्रधान के पास ही है। 2.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 1.54 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोगों को काम मिला लेकिन उनको मजदूरी एवं जॉब कार्ड नहीं मिला है। (आरेख-6)

आरेख -6: उत्तरदाताओं के पास जॉबकार्ड की उपलब्धता




कार्य दिवस उपलब्धता:

योजना के अन्तर्गत मजदूरों को प्रतिवर्ष 100 दिन का कार्य मिलना चाहिए, लेकिन अध्ययन क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के दौरान मजदूरों को अधिकतम 70 दिनों की मजदूरी प्राप्त हुई है। चार्ट के आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाय तो पता चलता है, कि अनुसूचित जाति के 17.14 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 21.54 प्रतिशत मजदूरों को 0-10 दिन का रोजगार मिला, वहीं 48.57 प्रतिशत अनुसूचित जाति के मजदूरों तथा 40 प्रतिशत पिछड़ी जाति के मजदूरों को 11-20 दिन की मजदूरी मिली।

जिन उत्तरदाताओं को 21-30 दिन की मजदूरी प्राप्त हुई उनमें से 20 प्रतिशत अनुसूचित तथा 20 प्रतिशत पिछड़ी जाति के उत्तरदाता हैं। अध्ययन क्षेत्र के 2.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 4.61 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोगों को 31-40 दिन मजदूरी प्राप्त हुई। पिछले 2 वर्षों के दौरान 40 दिन से अधिक दिनों की मजदूरी प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 11.45 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के 13.85 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला (आरेख -7)। सभी मजदूरों को गांव की 1 किमी की परिधि में ही रोजगार मिला है।

आरेख -7: पिछले 2 वर्षों के उपलब्ध कार्यदिवसों की संख्या



हरदोई जनपद में नरेगा योजना का पूरा लाभ बिचौलियों (ग्राम प्रधान, पंचायत-मित्र, तथा अन्य कर्मचारियों) के आपसी गठजोड़ के कारण लाभार्थियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे यह योजना अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही है। मिश्रा (2016) का अध्ययन हमारे अध्ययन में चिन्हित की गई चुनौतियों पारदर्शिता एवं कुशलता की कमी एवं उत्तरदायित्वों के प्रति अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता आदि से मेल खाती हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना का गरीब ग्रामीण व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में मिला-जुला दृष्टिकोण है जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार योजना के भी अच्छे एवं बुरे प्रभाव दोनों हैं। अच्छे एवं सकारात्मक प्रभावों के अन्तर्गत यहां अधिकांश लोगों को योजना के बारे में जानकारी है तथा अधिकतर लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है, जिससे इन्हें गांव में ही रोजगार की प्राप्ति हुई है। रोजगार पाने के साथ-2 घर-परिवार की देखभाल सुचारू रूप से कर लेते हैं। मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से होने के कारण बिचौलियों से छुटकारा मिला है। मजदूरी राशि एकमुश्त मिलने के कारण लोगों को लाभ मिला है, परन्तु उत्तरदाताओं के अनुसार इस योजना के नकारात्मक पक्ष भी दिखायी दिये हैं नरेगा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिला जबकि जॉब कार्ड पर अधिक दिनों का रोजगार प्राप्त होना अंकित है। मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं मिला तथा गांव में इस योजना के अन्तर्गत किसी भी महिला को रोजगार नहीं दिया है। गांव के प्रधान, पंचायत मित्र तथा अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण यह योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है। यद्यपि जमींदारी का उन्मूलन हो चुका है लेकिन आम जनता का शोषण नहीं रुका बल्कि उसका स्वरूप बदला है।

इस रोजगार गारंटी कानून को यदि सही रूप में क्रियान्वित किया जाय तो समाज में सन्तुलन बनेगा, समतामूलक समाज बनेगा जिसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण दलित परिवारों को गरीबी, कुपोषण और भुखमरी से बचाने में मददगार होगा।

संदर्भ

1. आहूजा, राम (2000) *भारतीय समाज*, जयपुर एवं नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।
2. उपवन: 2009; उत्तर प्रदेश में बाढ़, सूखा एवं गरीबी, लखनऊ; उपवन।
3. चौहान, बी. आर. (1988) *भारत में ग्रामीण समाज*, जयपुर, ए. सी. ब्रदर्स।
4. जोशी, पी. सी., (1966) *भारतीय ग्राम संस्थानिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास*, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
5. डी. नरसिंम्हा, रेड्डी एवं अन्य (2014) द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी नरेगा ऑन रुरल लेबर मार्केट एण्ड एग्रीकल्चर, *इण्डिया रिव्यू*, 13:3, 251-273।
6. दुबे, श्यामाचरण, (2006) *भारतीय ग्राम*, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
7. दत्ता, के.एस. एवं सिंह, कृष्णा (2012) वीमेन'ज जॉब पार्टीसिपेशन इन एण्ड इफिसिएन्सी ऑफ नरेगा प्रोग्राम— केस स्टडी ऑफ ए पुअर डिस्ट्रिक्ट इन इण्डिया, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 35:7, 448-457।
8. दास, स्वाती (2016), इम्पैक्ट मनरेगा ऑन द लाइवलीहुड सेक्योरिटी ऑफ रुरल पुअर इन इण्डिया: ए स्टडी यूजिंग नेशनल सेम्पल सर्वे डेटा, ऑक्सफोर्ड डेवलपमेण्ट स्टडीज, 44:4, 420-440।
9. देसाई, ए. आर., (1969) *रुरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया*, मुम्बई, पापुलर प्रकाशन।

10. द्रेज, जीन एवं सेन, अर्मत्य, 1995; *इण्डिया : इकोनोमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल औपारच्युनिटी*, न्यू डेलही, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
 11. धर, हिरन्मय: 2003; "इवैलुएशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूवमेण्ट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रुरल एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश", *गिरि विकास अध्ययन संस्थान*, लखनऊ।
 12. प्रसाद, एन. 1970; *चेन्ज स्ट्रेटजी इन डेवलपिंग सोसाइटी*, मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन।
 13. प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो (2018) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
 14. मिश्रा राजेन्द्र कुमार (2016) मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन, *मध्य प्रदेश सामाजिक अनुसंधान जर्नल*, 14(1) पृष्ठ 61-79।
 15. मेण्डलवाभ, डेविड जी. (2000) "भारत में सामाजिक संगठन और नियोजन", (श्रीनिवास सम्पादित) *भारत के गांव*, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
 16. लेविस, आस्कर (1966) *द कल्चर ऑफ पॉवर्टी: इन एण्ड अण्डरस्टैंडिंग पॉवर्टी*, न्यूयार्क पब्लिकेशन।
 17. सिंह, रघुवंश प्रसाद (2008) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के दो साल, *योजना*, अगस्त।
 18. सिंधी, नरेन्द्र कुमार एवं गोस्वामी वसुधाकर 2007; *समाजशास्त्र विवेचन*, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
 19. सिंह, योगेन्द्र, (1999) *भारत में सामाजिक परिवर्तन : संकट और समुत्थानपकरता*, नई दिल्ली, जवाहर पब्लिशर्स।
 20. सहभागी शिक्षण केन्द्र (2006) *राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून-2005 में स्वैच्छिक एवं नागर समाज संगठनों की भूमिका*, सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
 21. श्रीनिवास, एम. एन. (1995) *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन*, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
 - i. - (2000) *यादों से रचा गांव*, नरेश नदीम (सम्पादित), नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
 - ii. - (2000) *भारत के गांव*, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
- NREGA (2018) http://mnregaweb4.nic.in/netnrega/allvldetails_dashboardnew.aspx